अनवान रामकिशन बनाम भियाराम व अन्य
विविध प्रार्थना पत्र संख्या 10/2023

18.02.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीया राधा पुत्री वीरूराम पुत्री मीरा पत्नी लालचन्द निवासी बनवाली हाल वार्ड नं. 17, वेयर हाउस के पीछे, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किए कि – उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र संख्या 11/2023 पेश किया गया है जिसमें प्रार्थीया प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में पक्षकार हैं। वाद पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों से भी प्रथम दृष्टयों प्रभावित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रार्थीया को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र में पारित आदेश से प्रथम दृष्टया प्रभावित है। चक 1 ड़ी बड़ी सेकिण्ड के खाता संख्या 24/81 के मु.न. 24 के 6.1490 हिस्सा रकबा में से प्रार्थीया के नाम 147/6179 हिस्सा रकबा दर्ज है व प्रतिवादी संख्या 10 का 146/6149 हिस्सा व 13 व 14 का 147/6149 हिस्सा द्वारा जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी हक परित्याग विलेख द्वारा दिनांक 30.06.2023 को प्रार्थीया के हक में दस्तावेज हक परित्याग निष्पादित कर हकत्याग कर दिया है व प्रतिवादी संख्या 11, 18 द्वारा चक 1 डी बड़ी के खाता संख्या 24/81 के 6.1490 हिस्सा रकबा में से अपना हिस्सा 146/6149 प्रत्येक का रजिस्टर्ड बेयनामा के आधार पर दिनांक 03.07.2023 को प्रार्थीया के हक में बेचान कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीया प्रतिवादी संख्या 10, 11, 13, 14, 18 के नाम उनके हिस्सा तक दर्ज खातेदार रकबा की हर तरह से मालिक व काश्तकार बन चुकी है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों से प्रथम दृष्टया प्रभावित है और प्रार्थीया का पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाया जाकर जवाबदेही का मौका दिया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब बहस में कोई आपति नही का कथन करते हुए आदेशिका पर नो ओब्जेकशन की टिप्पणी अकिंत की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूलवाद में प्रार्थीया को प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। एवं विविध प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया को पक्षकार बनाये जाने बाबत अधिवक्ता प्रार्थी ने कोई आपति नही की टिप्पणी की है अतः प्रार्थीया राधा पुत्री वीरूराम पुत्री मीरा पत्नी लालचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थीया राधा पुत्री वीरूराम पुत्री मीरा पत्नी लालचन्द निवासी बनवाली हाल वार्ड नं. 17, वेयर हाउस के पीछे, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर को अप्रार्थी संख्या 08 के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से अंकन किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 हेतु दिनांक 28.02.2025 को पेश हों।

28/02/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested